भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3068

जिसका उत्तर 07.08.2025 को दिया जाना है

जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों को जोड़ना

3068. श्री गणेश सिंह:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2014 से अब तक संपूर्ण देश में सड़क तंत्र से जुड़ने वाले गांवों, जनजातीय क्षेत्रों या पिछड़े क्षेत्रों, जो पहले सड़क नेटवर्क से जुड़े हुए नहीं थे, की ग्रामवार और मंडलवार/क्षेत्रवार संख्या कितनी है;

(ख) मध्य प्रदेश में वर्ष 2014 से राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय राजमार्गों, ग्रामीण सड़कों और अंतर-संपर्क सड़क परियोजनाओं के अंतर्गत निर्मित सड़कों की कुल किलोमीटर संख्या कितनी है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कृषि विपणन, स्कूलों और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, निवेश आकर्षण और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में क्या मूर्त और अमूर्त सकारात्मक परिवर्तन देखे गए हैं;

(घ) वर्तमान में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के अंतर्गत कितनी सड़क परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं; और

(ङ) क्या सरकार का इस मॉडल को और सुदृढ़ बनाने के लिए नई वित्तीय प्रोत्साहन योजनाओं या नीतिगत सुधारों का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मुख्य रपु से राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। सभी आकांक्षी और जनजातीय जिले राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़े हुए हैं।

आकांक्षी और जनजातीय जिलों तथा अन्य जिलों को संपर्कता प्रदान करने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव एक सतत प्रक्रिया है। क्षमता वृद्धि सहित राष्ट्रीय राजमार्गों पर किए जाने वाले कार्य, यातायात घनत्व, संपर्कता की आवश्यकता, सड़क की स्थिति, पारस्परिक प्राथमिकता और पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के साथ तालमेल के आधार पर किए जाते हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग मुख्य रुप से लंबी दूरी की संपर्कता के लिए हैं। अप्रैल, 2014 से सरकार द्वारा बड़े नगरों, शहरी क्षेत्रों, गांवों, आकांक्षी और जनजातीय जिलों और अन्य जिलों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 1,08,743 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है। इसमें विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एक या एक से अधिक निकटवर्ती जनजातीय जिलों तक सीमित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के भाग के रूप में निर्मित की गई 4,775 किलोमीटर लंबाई शामिल है।

अप्रैल, 2014 से सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में 7,517 किलोमीटर लंबाई वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है।

देश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं (2014-2022) के विकास के प्रभाव के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलोर (आईआईएम) द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर, व्यापक निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:-

(i) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास में प्रत्येक **एक रुपये** के व्यय से सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) में **₹3.2** की वृद्धि होती है;

(ii) नियंत्रण जिलों की तुलना में प्रबंध वाले जिलों (ट्रीटमेंट डिस्ट्रिक्ट) में **कारखानों और आपूर्तिकर्ताओं के बीच परिवहन** में लगने वाला समय **9.19%** कम हो गया है;

(iii) नियंत्रण जिलों की तुलना में प्रबंध वाले जिलों में **कारखानों और ग्राहकों के बीच परिवहन** में लगने वाला समय **4.93% कम हो गया** है;

(iv) प्रबंध वाले जिलों में नियंत्रण जिलों की तुलना में **स्कूलों** तक पहुँचने में लगने वाले समय में **16.6%** की कमी आई है;

(v) नियंत्रण जिलों की तुलना में प्रबंध वाले जिलों में **स्वास्थ्य सेवाओं** तक पहुँचने में लगने वाले समय में **9%** की कमी आई है;

(vi) नियंत्रण जिलों की तुलना में प्रबंध वाले जिलों में **मंडियों तक पहुँचने में लगने वाले औसत समय** में **7%** की कमी आई है; और

(vii) नियंत्रण जिलों की तुलना में प्रबंध वाले जिलों में **मंडियों** तक पहुँचने की औसत **संख्या** में **8%** की वृद्धि हुई है।

यद्यपि सरकार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास में निरंतर लगी हुई है, फिर भी कृषि केंद्रों, स्कूलों, स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों, पर्यटन केंद्रों आदि को अंतिम छोर तक जोड़ने की ज़िम्मेदारी राज्य सरकार की ही है।

(घ) वर्तमान में, देश में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत 3.23 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली 8,025 किलोमीटर लंबाई की 217 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

(ङ) अधिक निजी दावेदारों को आकर्षित करने और निवेश के अवसरों को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए, सरकार ने कई पहल की हैं जैसे पीपीपी परियोजनाओं के लिए मॉडल रियायत करार में सुधार, टोल संचालन और स्थानांतरण (टीओटी) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों के मुद्रीकरण के लिए मॉडल अनुबंधों में सुधार, निजी दावेदारों को निवेश के अवसरों को दिखाने के साथ-साथ निवेशकों की चिंताओं को समझने और उनका समाधान करने के लिए रियायतग्राहियों, वित्तपोषकों और प्रमुख सरकारी निकायों के साथ हितधारक सम्मेलन आयोजित करना आदि।

******